भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 996

उत्‍तर देने की तारीख: 09.03.2017

**रिक्त पदों को निरस्त किए जाने पर प्रतिदाय**

996. श्री नरेश अग्रवालः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों हेतु आवेदकों से 1000-2000 रुपये के बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर मांगे जाते हैं और यदि ये रिक्तियां रद्द कर दी जाती है, तो क्या आवेदकों को उक्त रकम लौटाई नहीं जाती है;

(ख) क्या यह एक बड़े घोटाले का हिस्सा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) यदि नहीं, तो रिक्तियां निरस्त होने की स्थिति में आवेदकों को यह रकम लौटाए जाने के संबंध में सरकार की क्या नीति हैं?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. महेन्‍द्र नाथ पाण्‍डेय)**

(क) से (घ) केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय, अपने अधिनिमय, संविधियों और उनके अंतर्गत तैयार किये गये अध्‍यादेशों के तहत अभिशासित सांविधिक स्‍वायत्‍त संस्‍थाएं हैं और रिक्‍तियों के रद्द किये जाने के मामले में आवेदक को आवेदन शुल्‍क लौटाने सहित सभी प्रकार के शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों में निर्णय लेने में सक्षम हैं।

रिक्‍तियों का रद्द किया जाना केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालयों में एक नियमित घटना नहीं है, तथापि कई बार भर्ती प्रक्रिया से संबंधित संशोधित नियमों और विनियमों के अनुसरण में रिक्‍तियों को पुन: विज्ञापित करना अपरिहार्य हो जाता है। केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालयों द्वारा रिक्‍तियों को बार-बार रद्द किये जाने जैसा कोई मामला सरकार के संज्ञान में नहीं आया है।

**\*\*\*\*\***